पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :-श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या –97 / 2025

अनवान :

1 देवीलाल पुत्र रामजस जाति जाट निवासी भुरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ

वादी

बनाम्

1 तहसीलदार राजस्व टिब्बी ।

प्रतिवादी

डिक्री दिनांक 22/4/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री महेश गौड व राजपैरोकार अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि चक केहरवाला बारानी के जमाबंदी संवत 2075 ता 78 खाता सं0 42/38 में अंकित वादी का नाम देवीराम पुत्र रामजस के स्थान पर नाम दुरूस्त कर वादी का सही नाम देवीलाल पुत्र रामजस किये जाने के आदेश दिए जाते है। अगर प्रार्थी पर कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन है या कोई सरकारी देय बकाया हो तो पूर्व नाम ही मान्य होगा। तहसीलदार टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 22/4/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
टिब्बी